



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277216
CG-DL-E-16102026-277216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No.317]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026

सं. 44011/5(एस)/2026-पीपी-II.— भारत सरकार के दिनांक 20 जून 2023 के संकल्प सं. 44011/2 (एस) / 2022-स्था. (बी-II) के साथ पठित दिनांक 3 मार्च 1987 के संकल्प सं. 27(21)-ईओ/86(सीसी) में, संकल्प के पैरा 7.2 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों को भी, विहित पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर, 10.06.2026 के पश्चात् अगले आदेश तक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उम्मीदवारों के साथ-साथ गैर-आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।”

हरमीत सिंह पाहुजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****RESOLUTION**

New Delhi, the 14th October, 2026

No. 44011/5(s)/2026-PP-II.— In Resolution No.27(21)-EO/86(CC), dated 3rd March, 1987, read with GoI Resolution No.44011/2(s)/2022-Estt.(B-II), dated 20th June, 2023, para 7.2 of the Resolution shall be replaced by:

“Candidates from State Public Sector Enterprises and the private sector, subject to fulfilling the prescribed eligibility criteria, shall also be considered as non-internal candidates along with the candidates of other Public Sector Enterprises beyond 10.06.2026 till further orders.”

HARMIT SINGH PAHUJA, Jt. Secy.